


NOTE SHEET

प.स 602/2019

दिनांक: \_\_\_\_\_ कार्यवाही विवरण: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

3<sup>12</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई, तहसीलदार आसिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रहीकरण कार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्शा में वन दू वन मपिंग किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आया कि ग्राम नारीतखी - खसरा नं. 111 जमाबंदी में एक साथ जुनला दर्ज है जबकि नौक पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातेदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल एक ही रजिस्ट्री के लिए नक्शा में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबंदी एवं सलाह हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" का निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।

  
**अधीक्षक अधिकारी**  
 एवं  
 सहायक कमिश्नर  
 जमाबंदी विभाग

